न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बइजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 150/2019

निर्णय दिनांक - 16.2.2021

अभयसिंह पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी बीजावास तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- वादी

बनाम

1. अन्तरसिंह
2. अनूपसिंह
3. भरपो
4. महताबसिंह

} पुत्रगण जुगलाल

5. लाडिया पत्नी जुगलाल
6. सन्तोष पुत्री जुगलाल
7. रवीना
8. रीटा

} पुत्री राजवन्ती

9. दाना पत्नी होशियारसिंह

} जाति समस्त जाट निवासीगण बीजावास तहसील राजगढ़ जिला चूरू

10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हमीरवास तहसील राजगढ़ जिला चूरू जरिए शाखा प्रबन्धक
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू

- प्रतिवादीगण

वाद बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 R.T. Act.

निर्णय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार राजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार ही तैयार कर भिजवाया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता विभाजन किये जाने में सहमति जाहिर की। अतः वाद वादी स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है।

1. दाना पत्नी होशियारसिंह, अभयसिंह पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी बीजावास खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 217 मी० रकबा 5.415 है० बा० तृतीय लगान 10.83 रोही ग्राम दन्देऊ सुल्तान सिंह तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग लाल से दर्शाए अनुसार रहेगी।

2. लिछमा पत्नी जुगलाल, अन्तरसिंह महताबसिंह, भरथो, अनूपसिंह, सन्तोष पुत्र-पुत्रियाँ जुगलाल जाति जाट रवीना, रीटा पुत्री राजवन्ती, पुत्री जुगलाल जाति जाट निवासी बीजावास खातेदार बाहिन अनुपसिंह पुत्र जुगलाल हिस्सा पूर्ण बी.आर. के. जी. बी. शाखा हमीरवास खातेदार के हक हिस्सा में ख० नं० 217 मी० रकबा 5.415 है० बा० तृ० लगान 10.83 रोही ग्राम दन्देऊ सुल्तानसिंह तहसील राजगढ़ जिला चूरू नक्शा विभाजन प्रस्ताव में बरंग काला से दर्शाए अनुसार रहेगी।

जिन खातेदारान का हिस्सा बैंक के रहन है वह यथावत रहन रहेगा। देय मुद्रांक शुल्क अदा करने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.2.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)